IN THE COURT OF Latika Deepak Parashar Present Addl. Session Judge No. 2, Hanumangarh [Date of the Judgment–17.03.2026] Case No– 54/2019, CIS– 54/2019 C.N.R No– RJHG010017662019 (FIR No. 146/2019 PS Hanumangarh Town)	
Complainant	राजस्थान राज्य
PRESENTED BY	अपर लोक अभियोजक
ACCUSED	1. इरफान खां पुत्र श्री काले खां, निवासी वार्ड नंबर 13 चक 11 आरपी, रोही लखूवाली हैड। **(न्यायिक अभिरक्षा में)** 2. शमशाद पुत्र श्री मुमताज, निवासी वार्ड नंबर 13 चक 11 आरपी, रोही लखूवाली हैड। 3. अकबर अली पुत्र श्री गुलाम कादर, निवासी नवां, पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन। **(मृत्यु)**
REPRESENTED BY	अधिवक्ता श्री अमित मदान व श्री हेम सिंह खिंची

B

Date of Offence	30-03-2019
Date of FIR	30-03-2019
Date of Chargesheet	20-07-2019
Date of Framing of Charges	15-10-2019 (अभियुक्त शमशाद) 22-11-2019 (अभियुक्त इरफान)
Date of commencement of evidence	07-03-2020
Date on which judgment is reserved	17-03-2026
Date of the Judgement	17-03-2026
Date of the Sentencing Order, if any	yes, 17-03-2026

C: ACCUSED DETAILS

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of release on bail	Offences charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of

							Section 428 Cr. PC
1	इरफान खां	02.04.19	22.03.21	341, 323/34, 326/34, 397, 398/34, 307 IPC and 3/25 (1-B)(A) & 27 Arms Act	**Acquitted** from charge of Sec. 341, 323/34, 326/34, 397, 398/34, 307 IPC and 27 Arms Act **and Convicted** in Charge of Sec. 3/25 (1-B)(A) Arms Act	– 01 year imprisonment with fine 5,000/-	02.04.19 to 22.03.21 and 17.03.26 **JC**
2	शमशाद	02.04.19	04.03.21	341, 323/34, 326/34, 397, 398/34, 307/34 IPC	**Acquitted**	**-**	02.04.19 to 04.03.21 and 25.11.24 to 26.11.24 **JC**
3	**अकबर अली**	**दौराने विचारण मृत्यु हो जाने से कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है।**					

PART-II
LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
PW. 1	गुलाब सिंह	जिला आरमोर्र पिस्तौल व कारतूसों के मुआयना बाबत
PW. 2	रानी	घटना बाबत
PW. 3	अदरीश	घटना बाबत
PW. 4	अल्लादित्ता	घटना बाबत

PW. 5	अब्दुलशकुर	घटना बाबत
PW. 6	फरस राम	फर्द गिरफ्तारी, पिस्तौल मय कारतूस, गंडासी, लाठी व मोबाईल इत्यादि की बरामदगी के संबंध में।
PW. 7	लखविन्द्र सिंह	कैरियर गवाह
PW. 8	नवदीप सिंह	अनुसंधान अधिकारी
PW. 9	मांगेराम	तत्कालीन मालखाना इंचार्ज
PW. 9 A	डॉ शंकरलाल सोनी	आहत अदरीश के आई चोटों का मेडिकल मुआयना करने बाबत।
PW. 10	सुरेन्द्र कुमार	अभियोजन स्वीकृति जारी करवाने के संबंध में।
PW. 11	शंकरलाल	फर्द गिरफ्तारी, पिस्तौल मय कारतूस, गंडासी, लाठी व मोबाईल इत्यादि की बरामदगी के संबंध में।

B. Defence Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
NIL		

C. Court Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
---	Nil	---

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	Exhibit P-1	बरामद पिस्तौल, कारतूसों का आरमोर्र मुआयना बाबत पत्र
2	Exhibit P-2 & 3	चिट्ट दस्तखती वजह सबूत
3	Exhibit P-2	बयान श्रीमती रानी
4	Exhibit P-3	मुकदमा दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र
5	Exhibit P-4	नक्शा मौका घटनास्थल
6	Exhibit P-4 ए	हालात मौका घटनास्थल
7	Exhibit P-5	प्रथम सूचना रिपोर्ट

8	Exhibit P-6	बयान अदरीश उर्फ लिशु
9	Exhibit P-7	बयान अल्लादिता
10	Exhibit P-8	बयान शकूर उर्फ दूला
11	Exhibit P-9	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अजाने मु. इरफान खां
12	Exhibit P-9	वजह सबूत सबूत परीक्षण करवाने बाबत पत्र
13	Exhibit P-10	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अजाने मु. अकबर अली
14	Exhibit P-10	वजह सबूत सबूत परीक्षण करवाने बाबत पत्र
15	Exhibit P-11	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अजाने मु. शमशाद
16	Exhibit P-11	प्राप्ति रसीद
17	Exhibit P-12	फर्द बरामदगी एक देशी पिस्तौल मय दो जिंदा कारतूस
18	Exhibit P-13	फर्द खाखा देशी पिस्तौल मय दो जिंदा कारतूस अजाने मु. इरफान खां
19	Exhibit P-14	फर्द बरामदगी गण्डासी मार्क सी अजाने मु. इरफान खां
20	Exhibit P-15	फर्द बरामदगी एक लाठी बांस मार्क डी अजाने मु. अकबर अली
21	Exhibit P-16	फर्द बरामदगी एक लाठी बांस मार्क इ अजाने मु. शमशाद
22	Exhibit P-17	फर्द बरामदगी एक मोबाइल अजाने मु. शमशाद
23	Exhibit P-18	फर्द बरामदगी एक मोटरसाइकिल प्लेटिना बिना नंबरी बंरग काला मु. शमशाद
24	Exhibit P-19	नक्शा मौका बरामदगीस्थल प्रथम
25	Exhibit P-19 ए	हालात मौका घटनास्थल
26	Exhibit P-20	नक्शा मौका बरामदगीस्थल द्वितीय
27	Exhibit P-20 ए	हालात मौका घटनास्थल
28	Exhibit P-21	नक्शा मौका बरामदगीस्थल तृतीय
29	Exhibit P-21 ए	हालात मौका घटनास्थल
30	Exhibit P-22	रोजनामचा प्रति
31	Exhibit P-23	रोजनामचा प्रति
32	Exhibit P-24	फर्द जप्ती खून आलूदा पारचात मजरूब अदरीश उर्फ लिशु की पेन्ट काली फटी हुइ मार्क ए
33	Exhibit P-25	फर्द इत्तिला 27 साक्ष्य अधिनियम अजाने मु० इरफान खां
34	Exhibit P-26	फर्द इत्तिला 27 साक्ष्य अधिनियम अजाने मु० शमशाद
35	Exhibit P-27	फर्द इत्तिला 27 साक्ष्य अधिनियम अजाने मु० अकबर अली
36	Exhibit P-28	एफएसएल रिपोर्ट
37	Exhibit P-28 ए	सिरोलॉजी एफएसएल रिपोर्ट
38	Exhibit P-30	जिला कलक्टर पत्र

39	Exhibit P-31-35	चिट्ठ दख्तख्ती वजह सबूत
40	Exhibit P-36	एफएसएल टोकन
41	Exhibit P-37 ए	मालखाना रजिस्टर प्रति
42	Exhibit P-38	मेडिकल इंजरी रिपोर्ट
43	Exhibit P-39	मजरूब अदरीश की आईआर पूर्ण करवाने बाबत पत्र
44	Exhibit P-40	बैड हैड टिकट पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर
45	Exhibit P-41	पिस्तौल एवं कारतूस का मुआयना करवाने बाबत पत्र

B. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	Exhibit D–1	बयान लखविन्द्र

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
----	Nil	---

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
1	M.O. 1	एक पिस्तौल 315 बोर
2	M.O. 2	कारतूस का खाली खोखा
3	M.O. 3	कारतूस का खाली खोखा
4	M.O. 4	एक गंडासी
5	M.O. 5	कपड़े की थैली
6	M.O. 6	एक बांस का डंडा
7	M.O. 7	कपड़े की थैली
8	M.O. 8	बांस की छोटी लाठी
9	M.O. 9	कपड़े की थैली
10	M.O. 10	एक मोबाईल
11	M.O. 11	कपड़े की थैली
12	M.O. 12	पेंट का टुकड़ा
13	M.O. 13	कपड़े की थैली

– निर्णय – **दिनांक– 17.03.2026**

1. उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियुक्त **अकबर अली** की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध संस्थित कार्यवाही पूर्व में दिनांक 20.01.2024 को **ड्रोप** की जा चुकी है। अतः शेष अभियुक्तगण इरफान खां व शमशाद की हद तक निर्णय पारित किया जा रहा है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.03.2019 को परिवादिया रानी ने पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 3) इस आशय की पेश की कि आज दोपहर 2 बजे वह उसके मौसेर भाई इदरीस के साथ लखूवाली से चक 9 आरपी में काम पर मोटरसाईकिल पर जा रहे थे। लखूवाली से करीब आधा किलोमीटर निकलते ही रास्ते में अरबाज पुत्र काला खां, इरफान पुत्र काला खां, इमशाद पुत्र मुमताज खां इमरान खां पुत्र इमाम, मशकीना पुत्री काला खां, जैबां पत्नी काला खां, इबराम पुत्र मुमताज, सलीम पुत्र नूरदीन तीन मोटरसाईकिलों पर सवार होकर सामने से उनके आगे आ गए और उनके मोटरसाईकिल के आगे मोटरसाईकिल लगाकर रोक लिया। इरफान व शमशाद के पास पिस्तौल था और बाकी सभी के पास कापे और कुल्हाड़ियां थी। इरफान व शमशाद दोनों ने कहा कि आज उसको जान से मारेंगे। उसके बाद उन सभी ने उसके भाई को मोटरसाईकिल से उतार कर घेर लिया और इरफान व शमशाद दोनों ने उसके भाई को जान से मारने के लिए फायर कर दिये, जो एक गोली इदरीस के गाल पर लगी और उसके बाद इरफान व शमशाद ने कापे निकाल लिए और इरफान ने दाहिने हाथ के पंजे पर कापे की चोट मारी, जिससे उसके भाई इदरीस की हथेली दो हिस्सों में कट गई। शमशाद ने इदरीश के बाएं हाथ की कोहनी पर कापे से वार किया। उन सब ने इदरीस को नीचे पटक लिया और सभी ने कापों और कुल्हाड़ी से हाथ, पैरों व कमर पर चोटें मारी। उसने बचाने की कोशिश की, तो उसे धक्का देकर गिरा दिया और कमर पर लात–घुसों से चोटें मारी और सिर के बाल पकड़कर खींच लिये और खाले के अंदर पटक दिया और इबराम ने उसके कानों में पहनी हुई सोने की बालियां निकाल ली। उसने बचाने के लिए शोर मचाया तो अल्लादिता उर्फ भोलू पुत्र सुभान मोहम्मद जो पास में गायें चरा रहा था, भागकर आया और उसके भाई को और उसे छुड़वाया। उसके बाद वे सब मोटरसाईकिलों पर बैठकर भाग गए। अल्लादिता उर्फ भोलू अगर बीच बचाव नहीं करता तो वे सब उसके भाई को जान से मार देते। अरबाज पुत्र काला खां, इरफान पुत्र काला खां, इमशाद पुत्र मुमताज खां, इमरान खा पुत्र इमाम, मशकीना पुत्री काला खां, जैबां पत्नी काला खां, इबरान पुत्र मुमताज, सलीम पुत्र नूरदीन आदि ने उसके भाई इदरीस को जान से नारने के लिए एकराय होकर और घातक हथियारों से लैस होकर जानलेवा हमला कर गोली मारकर व

कापे और कुल्हाड़ी से चोटें पहुंचाई है। उनके जाने के बाद में भाई को हनुमानगढ़ हॉस्पिटल में लेकर आई और भर्ती करवाया। उन सभी से उसके व उसके परिवार को जानमाल का पूरा–पूरा खतरा बना हुआ है...आदि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 146/2019 अपराध धारा 307, 382, 341, 323, 143 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 27 आयुध अधिनियम में दर्ज की गई और आवश्यक अनुसंधान के बाद अभियुक्त इरफान खां के विरूद्ध धारा 307, 326, 324, 382, 341, 323, 397, 398, 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 27, 3/25 आयुध अधिनियम में तथा अभियुक्तगण शमशाद व अकबर अली के विरूद्ध धारा 307, 326, 324, 382, 341, 323, 34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से बाद प्रसंज्ञान यह प्रकरण माननीय सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़ को कमिट किया गया। कालान्तर में माननीय सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण विधिवत् सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित किए जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त इरफान खां को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323/34, 326/34, 397, 398/34, 307 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/25 (1–B)(A) व 27 आयुध अधिनियम के आरोप तथा अभियुक्त शमशाद को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323/34, 326/34, 397, 398/34, 307/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो उक्त अभियुक्तगण ने आरोपों को सुन–समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में पी.ड. 1 लगायत पी.ड. 11 गवाहान को पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी. 1 लगायत प्रदर्श पी. 41 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

5. अभियुक्तगण इरफान खां व शमशाद की परीक्षा धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत की गई, जिसमें उसने अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य को गलत बताकर स्वयं को निर्दोष होना बताया। अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

6. बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित होना बताकर उन्हें दोषसिद्ध करने का निवेदन किया।

7. जिसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किए कि अभियुक्तगण के द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है, सभी स्वतंत्र गवाह इस बारे में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। अभियुक्त इरफान से हुई बरामदगी भी सन्देह से परे साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

8. उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों पर मनन किया। पत्रावली तथा सुसंगत विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दू यह है कि–

(1) ''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 30.03.2019 को दोपहर लगभग दो बजे लखूवाली से आधा किलोमीटर दूर अदरीश की हत्या करने एवं रानी को मारपीट करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में उन्हें रोककर उनका सदोष अवरोध कारित कर मजरूबा रानी के स्वेच्छया कुंद हथियार से साधारण उपहतियां एवं मजरूब अदरीश के धारदार हथियार से स्वेच्छया उसके दाएं हाथ, दाएं हाथ की अग्रभुजा, बाएं हाथ की अग्रभुजा व बाएं पैर पर गंभीर उपहतियां कारित की तथा परिवादी अदरीश को तत्काल मृत्यु के भय में डालकर उद्दापित किया और अदरीश को इनटेक्स मोबाईल फोन वहीं और उसी समय परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित कर घातक आयुध अवैधों से सुसज्जित होकर लूट कारित करने के लिए देशी पिस्तौल का उपयोग किया और आहत अदरीश के गंभीर उपहतियां कारित की तथा अभियुक्त इरफान खां ने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत अदरीश की गर्दन पर देशी पिस्तौल से फायर कर चोट पहुंचाई, जिससे यदि आहत अदरीस की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त इरफान खां हत्या के अपराध का दोषी होता तथा अभियुक्त शमशाद ने इरफान खां के उक्त कृत्य में सहयोग दिया?

(2) क्या दिनांक 04.04.2019 को दोपहर 12.30 बजे अभियुक्त इरफान खां की ढाणी चक 11 आरपी रोही लखूवाली से अभियुक्त के चैतन्य व अनन्य कब्जे से एक पिस्तौल .315 बोर (8 एमएम) व दो जिन्दा कारतूस .315 बोर (8 एमएम) बिना वैध अनुज्ञा पत्र के बरामद हुए तथा क्या अभियुक्त इरफान खां ने अदरीश की हत्या करने के आशय से पिस्तौल .315 बोर (8 एमएम) का अवैध रूप से प्रयोग करते हुए फायर किये?"

यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड से दायी होंगे?

9. **उक्त अवधार्य बिन्दुओं के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहान** को साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया है, जिनमें **परिवादिया पी.ड. 2 रानी** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक

28.03.18 की घटना है। वह उस अदरीश के साथ मोटरसाईकिल पर उसके घर से खाना देने के लिए जा रही थी। उसकी बेटी को इरफान भगा कर ले गया था, फिर उन्होंने वहां प्रेम विवाह कर लिया था। इरफान के साथ उसकी लाग–डाट चलती है। जब वे खाना देने के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में 3 एल.के. चक के पास तीन मोटरसाईकिल पर आठ–नौ व्यक्ति थे, दो महिलाएं थी, जिनके ढाटे मारे हुए थे, जिनके हाथ में पिस्तौल, डंडे और कापे थे। उन्होंने अदरीश के गोली मारी। जब गोली चली, तब वह भाग गई। अदरीश को गोली किसने मारी, उसे नहीं पता। अदरीश को कापे और डंडों से किसने मारा उसे नहीं पता। यह गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुई है। **प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया है कि गोली मारने वाले गोली मारकर हाथों हाथ ही वहां से भाग गए। उसने इरफान को यह भी नहीं कहा कि वह गोली क्यों मार रहा है। उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे। घटनास्थल पर पुलिस दस दिनट बाद आ गई थी। उसकी बेटी सुदामा इरफान के पास ही है। उसकी इरफान के परिवार के सदस्यों के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। मौका पर जितने भी आदमी या औरतें थी, उसमें से वह किसी को भी नहीं पहचानती। उसने उनमें से किसी का भी हुलिया पुलिस को नहीं बताया।

10. प्रकरण में मुख्य आहत **अदरीश पी.ड. 3** ने साक्ष्य दी है कि उसकी मौसी का नाम शरीफा बीबी है, जिसकी लड़की की शादी लियाकत अली के साथ हुई थी। आज से करीब साल डेढ साल पहले की घटना है, वह व रानी मोटरसाईकिल से उसके भाई के पास खाना लेकर जा रहे थे। रानी उसकी मौसी की बेटी लगती है। रानी की बेटी की शादी इरफान के साथ हुई है। इरफान रानी की बेटी को भगाकर ले गया था और भगाकर शादी की थी। जब वे खाना लेकर जा रहे थे, तब रास्ते में मुंह पर ढाटे मारे तीन व्यक्ति आए थे, जिन्होंने उसकी ओर फायर किया, जो उसकी गर्दन में लगा था और उसे किस चीज से चोटें मारी, उसे नहीं पता, वह बेहोश हो गया था। फायर किसने मारा, उसे नहीं पता। यह गवाह **पक्षद्रोही** घोषित हुआ है। **प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया है कि जब मुल्जिमान फायर करने लगे, तब उसने कुछ नहीं कहा। मुल्जिमान कब चले गए, उसे नहीं पता, क्योंकि वह बेहोश हो गया था। उसे गाडी में डालकर हॉस्पिटल ले गए थे, वह बेहोश था। उसे पुलिस वालों ने बताया कि इरफान, अकबर और शमशाद ने उसके उपर फायर किया है, जब मुल्जिमान ने फायर किया, तब रानी उसके साथ थी। इरफान की उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उसका इरफान के घर पर आना जाना है।

11. इसी प्रकार प्रकरण में स्वतंत्र साक्षीगण **पी.ड. 4 अल्लादित्ता** व **पी.ड. 5 अब्दुलशकुमार** भी **पक्षद्रोही** हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। गवाह

पी.ड. 5 अब्दुलशकुर ने **प्रतिपरीक्षण में** स्वीकार किया है कि इरफान के साथ अदरीश की कोई दुश्मनी नहीं है।

12. **चिकित्सक साक्षी पी.ड. 9 ए डॉ. शंकरलाल सोनी** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 30.03.2019 को वह जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ टाउन में मेडिकल ज्युरिष्ट के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के प्रतिवेदन पर श्री अदरीश उर्फ लिस्सू पुत्र अली मोहम्मद की चोटों बाबत मुआयना किया था, जिसके चोट सं. 1 बहुत सारे कटे हुए घाव, जिनका साइज अलग–अलग था, जो दाएं हाथ तथा दायीं अग्रभुजा पर थे, जिनका साईज अलग–अलग था, जो 3 सेमी गुणा 1 सेमी मांसपेशियों तक गहरा से 10 सेमी गुणा 3 सेमी हड्डी तक गहरी थी। कटी हुई हड्डियां गहरी थी। चोट सं. 2 कटा हुआ घाव जो उसके बायें पैर पर उपर की तरफ था, जिसकी साईज 8 सेमी गुणा 2 सेमी हड्डी तक गहरा था। चोट सं. 3 फायर आर्म्स इन्ट्री बुन्ड जो गर्दन पर बायीं तरफ था, साईज 1 सेमी गुणा 1 सेमी था। चोट सं. 4 बहुत सारे कटे हुए घाव, जो उसके बायें अग्रभुजा पीठ पर बायीं तरफ, बायीं जांघ, दाहिनी टांग पर जगह–जगह थी, जिनकी साईज अलग–अलग थी। चोट सं. 1. 2 व 4 धारदार हथियार से एवं चोट सं. 3 फायर आर्म से कारित थी। सभी चोटें 24 घंटे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 38 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है, सी से डी स्थान पर आहत का पहचान चिह्न है। दिनांक 25.05.2019 को पुलिस द्वारा उससे चोटों के बारे में राय मांगी गयी, साथ में पीबीएम हॉस्पिटल का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया। रिकॉर्ड अवलोकन के पश्चात् चोट सं. 3 सामान्य पायी गयी। चोट सं. 1, 2 व 4 गंभीर पायी गयी। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी. 39 है जिस पर ए से वी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है व सी से डी स्थान पर उसकी राय है। पीबीएम हॉस्पिटल का रिकॉर्ड प्रदर्श पी. 40 है। **प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया है कि चोट सं. 1. 2 व 4 चोटें जो थी, वो ऐसे शार्प हथियार की थी, जो ब्लेड व तलवार जैसे हथियार की नहीं थी, जो चोटें मोटे धारदार हथियार की चोटे थी। चोट सं. 3 चोट पर किसी तरह का कालापन या टैटरिंग वगैरा नहीं थी, ये चोट 6 फुट की दूरी से ज्यादा आने की संभावना है। चोट सं. 3 के अंदर कोई मैटेलिक आर्टिकल उसे नहीं मिला। ये चोटें उसकी जांच से 15–20 घण्टे की भी हो सकती है।

13. **फर्द गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में पी.ड. 6 फरसराम** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 02.04.2019 को पुलिस चौकी लखुवाली पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उक्त मुकदमा में श्री नवदीप सिंह एसआई ने मुल्जिम इरफान खां व अकबर अली को उसके समक्ष गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 09 व प्रदर्श पी. 10 है, जिस

पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 03.04.2019 को मुल्जिम शमशाद को उसके रोबरू नवदीप सिंह उपनिरीक्षक ने गिरफ्तार किया था, जो प्रदर्श पी. 11 है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 04.04.2019 को मुल्जिम इरफान ने अपनी ढाणी चक 11 आर.पी. में एक देशी पिस्तौल मय दो जिन्दा कारतूस व एक गंडासी श्री नवदीप सिंह एस.आई. को बरामद करवाई थी, जिसे मुकदमा का वजह सबूत होने के कारण जरिये फर्द बरामदगी बरामद कर कब्जा पुलिस में लिया गया। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी. 12 जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। फर्द खाका पिस्तौल व दो जिन्दा कारतूस प्रदर्श पी. 13 है जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द बरामदगी गंडासी मुल्जिम इरफान खां प्रदर्श पी. 14 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम अकबर अली ने उसके रोबरू एक लाठी उपनिरीक्षक नवदीप सिंह को चक 11 आरपी रोही के पास मेगा हाईवे से झाड़ियों के पास निकाल कर बरामद करवाई, जिसे मुकदमा का वजह सबूत होने के कारण कब्जा पुलिस में लिया गया, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी. 15 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुल्जिम शमशाद ने उपनिरीक्षक श्री नवदीप सिंह को अपने रिहायशी मकान चक 11 आर.पी. में एक लाठी बांस बरामद करवाई, जो मुकदमा का वजह सबूत होने के कारण कब्जा पुलिस में लिया गया, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी. 16 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मुल्जिम शमशाद ने नवदीप सिंह ए.एस.आई. को एक मोबाईल इन्टेक्स कंपनी का अपने मकान 11 आर.पी. लखुवाली हैड से बरामद करवाया, जो मुकदमा का वजह सबूत होने के कारण कब्जा पुलिस में लिया गया, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी. 17 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 03.04.2019 को मुल्जिम शमशाद को श्री नवदीप सिंह एस.आई. ने गिरफ्तार किया, तब एक प्लेटिना मोटरसाईकिल बिना नंबरी मुल्जिम के कब्जा से बरामद किया। फर्द बरामदगी मोटरसाईकिल बिना नंबरी प्रदर्श पी. 18 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बरामदगीस्थल प्रथम का नवदीप सिंह एस.आई. ने मुल्जिम इरफान के घर का नक्शा मौका बरामदगीस्थल बनाया, जो प्रदर्श पी. 19 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका बरामदगी स्थल द्वितीय श्री नवदीप सिंह एस.आई. ने मेगा हाईवे सड़क के पास मुल्जिम अकबर से लाठी प्राप्त की, उक्त बरामदगीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 20 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका बरामदगीस्थल तृतीय श्री नवदीप सिंह एसआई ने मुल्जिम शमशाद के घर का बनाया, जो प्रदर्श पी. 21 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 25.04.2019 को वह मुकदमा हाजा का वजह सबूत एक पिस्तौल व दो जिंदा कारतूस पैकेट मार्क बी एचएम थाना के निर्देशानुसार जिला आरमोर्र हनुमानगढ़ पुलिस लाईन मैकेनिकल

मुआयना करवाने हेतु लाया था व जिला आमोर्र श्री गुलाब सिंह एसआई के सील्ड पैकेट व कागजात मैकेनिकल मुआयना हेतु सुपुर्द किया। आरमोर्र ने पिस्तौल व कारतूस को पैकेट से निकाल कर मैकेनिकल मुआईना किया, वापस सील मोहर कर मय मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट वजह सबूत सील्ड पैकेट उसे दिया। उसने थाना पहुंच मालखाना प्रभारी श्री मांगीराग एचसी के सुपुर्द कर दिया। एचसी ने मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट उसे दी, जो उसने आईओ श्री नवदीप सिंह एसआई को सुपुर्द की। आरमोर्र को थानाधिकारी द्वारा लिखा गया पत्र प्रदर्श पी. 01 है जिसकी पुश्त पर आरमोर्र की मुआयना रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जिस पर उसके जी से एच स्थान पर हस्ताक्षर हैं। दिनांक 25.04. 2019 आमद रवानगी रपट सं. 43 प्रदर्श पी. 22 व 23 है। **प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि उस मकान में कोई नहीं था और मकान जिस आदमी का था, वे वहां मौजूद नहीं थे, उन्होंने किसी से पूछे बिना ही उसके मकान में जाकर बरामदगी की। वहां के सरपंच या उस वार्ड के मैंबर या अडोस–पडौस के किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया। जहां से लाठी झाडियों से बरामद की थी, वहां कोई पैरों के खोज थे या नहीं थे। उसे आज याद नहीं। कारतूस दोनों मटमैले पीले कलर के थे, अंदाजे से करीब डेढ़–दो इंच की लबाई थी। पिस्तौल का खाका मौका पर तैयार किया था।

14. **फर्द गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में पी.ड. 11 शंकरलाल** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 02.04.2019 को वह कांस्टेबल के पद पर पुलिस चौकी लखुवाली में पदस्थापित था। फर्द बरामदगी इरफान प्रदर्श पी. 9, अकबर अली प्रदर्श पी. 10 और मुल्जिम शमशाद प्रदर्श पी. 11 है, जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान अधिकारी ने उन तीनों को गिरफ्तार किया था। उसकी मौजूदगी में मुल्जिम इरफान ने एक पिस्तौल, दो कारतूस और एक गंडासी बरामद करवायी थी, जिसकी फर्द बरामदगी देशी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस प्रदर्श पी. 12 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त पिस्तौल और कारतूस का खाका भी उसकी मौजूदगी में तैयार किया था, जिस पर भी सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द बरामदगी गंडासी प्रदर्श पी. 14 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त वजह सबूत को कब्जा पुलिस में लेकर सील्ड किया था। अकबर अली ने एक झाडिया में निकालकर अनुसंधान अधिकारी को बांस की लाठी बरामद करवायी थी, जिसको कपडे की थैली में डालकर सील किया था, जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी. 15 तैयार की थी, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम शमशाद से भी एक लाठी बांस की, एक मोबाईल फोन व एक मोटरसाईकिल बरामद किया था। उक्त लाठी और मोबाईल और मोटरसाईकिल को कब्जे में लिया था और लाठी व मोबाईल को सील्ड किया था,

जिसकी फर्द एक लाठी बांस प्रदर्श पी. 16 व एक मोबाईल फोन जिसकी फर्द प्रदर्श पी. 17 तथा एक मोटरसाईकिल प्रदर्श पी. 18 तैयार की थी, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इरफान खान ने जहां से वजह सबूत बरामद करवाये थे, उस स्थान का नक्शा मौका इरफान की निशानदेही से तैयार किया था, जो प्रदर्श पी. 19 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। बरामदगीस्थल का नक्शा मौका द्वितीय जो अकबर अली की निशानदेही से तैयार किया था, जो प्रदर्श पी. 20 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। बरामदगीस्थल का तृतीय नक्शा मौका जो शमशाद की निशानदेही से तैयार किया था, जो प्रदर्श पी. 21 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। चिट्ठ दस्तख्ती प्रदर्श पी. 31, प्रदर्श पी. 31ए, प्रदर्श पी. 32, प्रदर्श पी. 32ए, प्रदर्श पी. 33, प्रदर्श पी. 33ए, प्रदर्श पी. 34, प्रदर्श पी. 34ए पर उसके ई से एफ हस्ताक्षर है जो वजह सबूत सील्ड करते समय किये थे। **प्रतिपरीक्षण में** इरफान और अकबर अली को इंदिरा गांधी हैड पर गिरफ्तार किया था और शमशाद को मैनावाली बस स्टेण्ड से गिरफ्तार किया था। प्रदर्श पी. 19 जहां से इरफान द्वारा एक पिस्तौल और दो कारतूस बरामद करना वह बता रहा है, वो ढाणी खाली थी, वहां कोई आदमी उन्हें नहीं मिला। पिस्तौल व कारतूस जो बरामद किये गये थे, वो दिन के 12 बजे से 1 बजे के बीच में बरामद किये गये थे। जहां से पिस्तौल व कारतूस बरामद किये थे, वहां पर अडोस–पडोस में खेत थे व ढाणियां भी थी, लेकिन कोई भी आदमी अडोस–पडोस का उन्हें नजर नहीं आया। गडासी भी वहीं से बरामद की थी। कारतूस दोनों जिंदा थे। तीनों कारतूस अलग सील किये, पिस्तौल अलग सील किया व गंडासी अलग सील किये।

15. **तत्कालीन मालखाना इंचार्ज पी.ड. 9 मांगेराम** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 02.04.2019 को वह पुलिस थाना, हनुमानगढ़ टाउन में हैड कांस्टेबल के पद पर तैनात था तथा उसके पास मालखाना का चार्ज था। उस रोज श्री नवदीप सिंह एसआई द्वारा मुकदमा हाजा का वजह सबूत एक सील्ड पैकेट खून आलूदा पारचात मार्क ए व दिनांक 03.04.2019 को एक मोटरसाईकिल बजाज प्लेटिना बिना नंबरी रंग काला व दिनांक 04.04.2019 को एक सील्ड पैकेट में एक देशी पिस्तौल मय दो कारतूस मार्क बी मुल्जिम इरफान से व एक सील्ड कपड़ा थैली में धारदार गंडासी मार्क सी मुल्जिम इरफान से व एक सील्ड कपड़ा की थैली में एक लाठी बांस मार्क डी मुल्जिम अकबर अली से व एक सील्ड कपड़ा थैली में एक लाठी बांस मार्क ई मुल्जिम शमशाद से व एक सील्ड कपड़ा थैली में एक मोबाईल इन्टेक्स मार्क एफ मुल्जिम शमशाद से बरामदशुदा उसे लाकर मालखाना में संभलाया था। दिनांक 18.05.2019 को एक सील्ड पैकेट सैंपल पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर कांस्टेबल लखविन्द्र सिंह द्वारा उसे लाकर संभलाया था, जिसे

उसने मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 85/660 पर दर्ज किया था। दिनांक 25.04.2019 को सील्ड पैकेट मार्क बी जिसमें एक देशी पिस्तोल व दो कारतूस थे, को श्री फरसाराम कांस्टेबल को आरमोर्र मुआयना करवाने हेतु देकर पुलिस लाईन रवाना किया था। उसी रोज फरसाराम ने बाद आरमोर्र मुआयना सील्ड पैकेट लाकर उसे संभलाया था। दिनांक 28.05.2019 को श्री लखविन्द्र सिंह कांस्टेबल को सील्ड पैकेट मार्क ए, बी व 1 मय कागजात वास्ते अग्रेषण पत्र जारी करवाकर एफएसएल बीकानेर में जमा करवाने हेतु संभलाये थे। लखविन्द्र सिंह ने अग्रेषण पत्र जारी करवाकर एफएसएल बीकानेर पहुंच वजह सबूत जमा करवाना चाहा तो एतराज करने पर लखविन्द्र सिंह दिनांक 30.05.2019 को वापस आकर उक्त तीनों पैकेट मालखाना में जमा करवाने हेतु उसको सुपुर्द किये थे, जिसको उसने सुरक्षित मालखाना में जमा किया था। पुनः सील्ड पैकेट मार्क ए, बी व 1 एफएसएल में जमा करवाने हेतु दिनांक 25.06.2019 को एफएसएल में जमा करवाने हेतु लखविन्द्र सिंह को सुपुर्द किये थे, जिन्होंने दिनांक 27.06.2019 को बाद वजह सबूत एफएसएल जमा करवाकर रसीद क्रमाक 2257/19 दिनांक 26.06.2019 उसको संभलायी थी। उसने मालखाना में से वजह सबूत देते समय व प्राप्ति रसीद प्राप्त करते समय कैरियर लखविन्द्र सिंह व फरसाराम के हस्ताक्षर करवाये थे व उसके भी हस्ताक्षर किये थे। वजह सबूत जब तक उसके पास रहे, सही व सुरक्षित रहा। उपरोक्त वजहसबूत मालखाना के रजिस्टर क्रमांक 85/660 पर दर्ज किया था, जो प्रदर्श पी. 37 है जिस पर ए से बी वजह सबूत दर्ज करने का अंकन है, सी से डी मुकदमा का अनवान व धाराओं का अंकन है, ई से एफ जमा करवाने वाले नवदीप सिंह के हस्ताक्षर है, जी से एच वजह सबूत मार्क बी को आरमोर्र मुआयने हेतु भेजे जाने का अंकन है, जिस पर आई से जे फरसाराम के व के से एल उसके हस्ताक्षर है, एम से एन बाद मुआयना वजह सबूत वापस जमा करवाने का अंकन है, ओ से पी फरसाराम के व क्यो से आर उसके हस्ताक्षर है, एस से टी दिनांक 28.05.2019 को एफएसएल बीकानेर में वजह सबूत मार्क ए, बी व बोतल 1 जमा करवाने हेतु देने का अंकन है जिस पर यू से वी उसके और डब्ल्यू से एक्स लखविन्द्र सिह के हस्ताक्षर है, वाई से जेड एफएसएल द्वारा एतराज करने पर वापस जमा करने का इन्द्राज है जिस पर ए1 से बी1 उसके व सी1 से डी1 लखविन्द्र सिंह के हस्ताक्षर है। एतराज पूर्ति बाद वापस वजह सबूत जमा करवाने हेतु देने का अंकन ई1 से एफ1 है जिस पर जी1 से एच1 लखविन्द्र सिंह के व आई1 से जे1 उसके हस्ताक्षर है, के1 से एल1 एफएसएल में जमा करवाने के बाद रसीद प्राप्ति का अंकन है, एम1 से एन1 लखविन्द्र के, ओ1 से पी1 उसके हस्ताक्षर है। उक्त वजह सबूत जब तक उसके पास रहा, सील्ड व सुरक्षित रहा। मालखाना रजिस्टर की फोटोप्रति

प्रदर्श पी. 37 ए है। **प्रतिपरीक्षण में** कथन किया है कि यह कहना सही है कि घटना 30.03.2019 की है, लेकिन मालखाना में वजह सबूत अलग–अलग दिनांक को जमा हुए थे। आईओ नवदीप द्वारा एक मार्क ए, बी, सी,डी, ई, एफ व मोटरसाईकिल जमा करवाया गया था व मार्क 1 पीबीएम हॉस्पिटल से लाकर लखविन्द्र सिंह द्वारा जमा करवाया गया था। यह कहना सही है कि दिनांक 30.05.2019 को वापस आकर उसे एतराज सील्ड पैकेट ही जमा करवाये थे, अन्य कोई पैकेट जमा या दस्तावेज उसे जमा नहीं करवाये थे।

16. **आरमोरर पी.ड. 1 गुलाब सिंह** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 25.04.19 को वह पुलिस लाइन हनुमानगढ़ में जिला आरमोरर के पद पर तैनात था। उस रोज थानाधिकारी पीएस हनुमानगढ टाउन में मुकदमा नम्बर 146/19 की तहरीर व शील्डशुदा पैकेट मार्क बी व अन्य मुकदमा संबंधी दस्तावेज मुआयना बाबत कांस्टेबल फरसाराम एफसी नंबर 657 हनुमानगढ टाउन ने पुलिस लाइन हाजिर होकर पेश की थी। पैकेट पर लगी सील का मिलान फर्द व चिट्ट नमूना सील से किया था, जो सही व सुरक्षित थी। सील एमआर की लगी हुई थी। पैकेट को खोला तो उसके 3 मुंह की सील के नीचे चिट्ट दस्तख्ती निकली व पैकेट में एक पिस्तोल 315 बोर (8 एमएम) देशी कट्टा बिना नम्बरी निकला, जिसके साथ दो जिंदा कारतूस 315 बोर के निकले थे (8 एमएम) पैकेट में एक अन्य चिट्ट दस्तख्ती निकली थी। पिस्तोल का उसके द्वारा ओरमोरर गैज व टूल से चलाकर चैक किया गया था, पिस्टल सही हालत में कार्य कर रहा था व फायर करने में सक्षम था, जो स्माल आर्म्स फायर श्रेणी का हथियार था। पिस्तोल की पहचान बाबत उसके जीएसएस/ एआरएमआर का पहचान मार्क लगाया था। पिस्तोल के साथ निकले दो जिंदा कारतूस 315 बोर जिंदा थे, जो फायर होने में सक्षम थे, जो एमुलेशन की श्रेणी में आते थे, जो केप कंपनी के बने हुए थे। बाद मुआयना उसने पिस्तोल व कारतूसों को इसी कपड़े की थैली में डालकर चिट्टों पर उसका पृष्ठांकन व सील अंकित कर फरसाराम कांस्टेबल के किए थे। मुआयना रिपोर्ट उसने तैयार की थी, तैयारशुदा रिपोर्ट व शीलशुदा पैकेट फरसाराम कांस्टेबल को सुपुर्द किए थे। उसकी मुआयना रिपोर्ट थानाधिकारी द्वारा जारी तहरीर प्रदर्श पी. 1 की पुश्त पर ए से बी उसकी मुआयना रिपोर्ट व सी से डी उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर नमूना सील अंकन है व इ से एफ फरसाराम के द्वारा प्राप्ति पृष्ठांकन व जी से एच प्राप्त करने के हस्ताक्षर है। सीलबंद अवस्था में प्रस्तुत हुई वजह सबूत की थैली को बाद अनुमति खोलने पर पाया कि पैकेट पर सील आरएफएस बीकानेर की लगी हुई है अंदर से एक अन्य सफेद कपड़े की थैली निकली, जिसकी मुंह की सील पर जीएसएस की मार्क लगी हुई है, जिसे खोला गया तो थैली के अंदर की तरफ मुंह के नीचे एक चिट्ट दस्तख्ती निकली,

जो प्रदर्श पी. 2 है, जिस पर ए से बी कार्यवही का पृष्ठांकन व सी से डी उसके हस्ताक्षर है, जिस पर एक्स स्थान पर तीन जगह सील मोहर का अंकन है। थैली के अंदर से निकली चिट्ठ प्रदर्श पी. 3 है, जिस पर ए से बी उसका कार्यवाही पृष्ठांकन है, जो कार्बनप्रति है, सी से डी उसके हस्ताक्षर है व दो जगह एक्स स्थान पर उसकी आरमोर्र की सील का अंकन है। थैली के अंदर से एक पिस्तौल 315 बोर निकला, जो आर्टिकल 1 है। यह वही पिस्तोल है, जिसका उसने मुआयना किया था तथा पिस्तोल के साथ अंदर से निकले दो नग कारतूस के खाली खोखे है, जो आर्टिकल 2 व 3 है। यह वही है, जिनका उसने मुआयना किया था। **प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया है कि गवाह के द्वारा उसको कहने पर पिस्तोल का घोडा दबाकर फायर कर दिखाया गया। यह सही है कि पिस्तोल के साथ जिंदा कारतूस उसके पास आए थे, जो आज दोनों कारतूस खाली हैं, स्वंय कहा कि एफएसएल से खाली हो सकते हैं। यह सही है कि पिस्तोल पर एफएसएल का मार्का स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। उसके पास पिस्तोल के साथ खाली कारतूस नहीं आए थे, सिर्फ जिंदा कारतूस ही आए थे। उसने जब मुआयना किया, उस समय पिस्तोल के चलने व नहीं चलने की जांच नहीं की थी। यह सही है कि पिस्तोल की नाल से यह पता चल सकता है कि पिस्तोल फायर हुआ था या नहीं।

17. **कैरियर गवाह पी.ड. 7 लखविन्द्र सिंह** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 28.05.2019 को पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसे मालखाना इंचार्ज ने सील्ड वजह सबूत दो कपडा की थैली में मार्क ए व बी तथा एक शीशी सील्ड मार्क 1 मय कागजात अग्रेषण पत्र जारी करवाने बाबत श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से जारी करवाने बाबत दिये। वह उसी दिन श्रीमान जिला पुलिस अधिक्षक महोदय के कार्यालय में पहुंच कर अग्रेषण पत्र जारी करवाकर एफएसएल बीकानेर हेतु रवाना हुआ। वह दिनांक 29.05.2019 को एफएसएल बीकानेर पहुंचकर उक्त तीनों वजह सबूत मय अग्रेषण पत्र जमा करवाना चाहा तो एफएसएल बीकानेर का ऐतराज होने पर वह पुनः तीनों वजह सबूत लेकर दिनांक 30.05.2019 को पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में आकर तीनों वजह सबूत मालखाना में जमा करवाये। पुनः बाद ऐतराज पूर्ति दिनांक 25.06.2019 को उसे मालखाना इंचार्ज ने तीनों वजह सबूत सील्ड पैकेट मार्क ए व बी व एक सील्ड शीशी मार्क 1 मय अग्रेषण पत्र जारी करवाने बाबत आवश्यक कागजात लेकर श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय में रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने अग्रेषण पत्र जारी करवाया। उसी दिन वह एफएसएल बीकानेर हेतु रवाना होकर दिनांक 26.06.2019 को एफएसएल बीकानेर पहुंचकर तीनों वजह सबूत एफएसएल

बीकानेर में जमा करवाये व उनकी रसीद प्राप्त की। वह पुनः दिनांक 27.06.2019 को पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में पहुंचकर जमा रसीद मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द की। वजह सबूत जब तक उसके पास रहे सील्ड व सुरक्षित हालात में रहे। अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी. 09 व 10 है जिस पर ए से बी स्थान पर श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। जमा रसीद प्रदर्श पी. 11 है। **प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया है कि वजह सबूत जो उसे दिया गया था, वह वजह सबूत पर लगी सील टाउन थाना की थी। बीकानेर पहुंचकर उसने एफएसएल में वजह सबूत जमा करवा दिया। उसके द्वारा बीकानेर एफएसएल में वजह सबूत जमा करवाने के चार–पांच घंटे बाद वजह सबूत वापस लौटा दिया था। जो वजह सबूत वापस लौटाया, उस पर एफएसएल की सील थी या नहीं, उसे आज याद नहीं। वजह सबूत जमा करवाने के बाद वापस नहीं लौटाया, अज खुद कहा कि रसीद दी थी।

18. **अभियोजन स्वीकृति जारी करवाने के संबंध में साक्षी पी.ड. 10 सुरेन्द्र कुमार** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 01 जुलाई 2019 को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ की न्याय शाखा में पदस्थापित था। उस रोज श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा उक्त प्रकरण में एक अभियोजन स्वीकृति जारी की गयी थी, जिसमें मुल्जिम इरफान खान के नाम से थी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को पत्रावली में आईओ द्वारा पत्रावली के तथ्यों से अवगत करवाया गया था तथा उन्हीं को ही शस्त्र को दिखाया गया था। तदुपरांत जिला कलेक्टर द्वारा उसे दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन स्वीकृति आदेश उसके द्वारा टंकित कर वास्ते हस्ताक्षर पेश किया गया था, जो प्रदर्श पी. 30 है, जिस पर ए से बी जिला मजिस्ट्रेट जाकिर हुसैन के हस्ताक्षर है तथा सी से डी तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री अशोक असीजा के हस्ताक्षर है, जिन्हे वह अधीनस्थ कार्मिक होने के नाते भंली–भांति पहचानता है। अभियोजन स्वीकृति के लिए जो जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रपत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ को दिया गया था, वो प्रदर्श पी. 41 है। **प्रतिपरीक्षण में** गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी. 30 पर जिला कलक्टर जाहिर हुसैन के हस्ताक्षर उसके सामने हुए थे।

19. **प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 8 नवदीप सिंह** ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 31.03.2019 को वह पुलिस चौकी, लखूवाली में प्रभारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसे मुकदमा हाजा की एफआईआर प्रदर्श पी. 5 अनुसंधान हेतु पत्रावली सुपुर्द की गयी थी, जिसमें अनुसंधान करते हुए उसने मुस्तगीस रानी व मजरूब अदरिस उर्फ लिसू, गवाहन अल्लादित्ता, शकूर उर्फ दुला, फरसराम के बयान उनके कथानुसार लेखबद्व किये थे। मजरूब अदरिस उर्फ

लिसू की आईआर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गयी। घटनास्थल का पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 4 तैयार किया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है और सी से डी गवाह शौकी के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर रानी के व वाई स्थान पर सुभान की अगूंठा निशानी है। उक्त नक्शा मौका का हालत मौका उसके द्वारा तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी. 4ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी. 5 पर थानाधिकारी अरूण चौधरी के हस्ताक्षर है, जिनके हस्ताक्षर वह उनके अधीनस्थ कार्य करने के कारण पहचानता है। पत्रावली पर आये साक्ष्यों व गवाहन के बयानों से मुल्जिम इरफान, श्मशाद व अकबर अली के विरूद्व प्रथमदृष्टया अपराध प्रमाणित पाये जाने पर मुल्जिमान इरफान खां, अकबर अली, श्मशाद को जरिये फर्द प्रदर्श पी. क्रमशः 9, 10 व 11 उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिस पर क्रमशः ए से बी व सी से डी गवाहन के व ई से एफ संबंधित मुल्जिम के और जी से एच उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान के दौरान मजरूब अदरिस उर्फ लिसू के पारचात वरवक्त घटना की जप्ती उसके द्वारा की गयी थी, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 24 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी गवाह अकरम के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर गवाह अली मोहम्मद व वाई स्थान पर मजरूब अदरिस की अगूंठा निशानी है। जैर हिरासत मुल्जिम इरफान ने स्वेच्छा से इतिला दी कि जो प्रदर्श पी. 25 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुल्जिम इरफान के हस्ताक्षर है। अपनी दी गयी इतिला के अनुसार एक पिस्तोल मय दो कारतूस व एक गंडासी मुताबिक इतिला चारपाई के नीचे से बरामद करवायी, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 12 है जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहन के व ई से एफ मुल्जिम इरफान के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील का अंकन है। उक्त जप्तशुदा पिस्तोल का खाका उसके द्वारा तैयार किया गया था, जो फर्द खाका प्रदर्श पी. 13 है जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहन के व ई से एफ मुल्जिम इरफान के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील का अंकन है। मुल्जिम इरफान खां द्वारा अपनी इतिला के अनुसार एक गंडासी बरामद करवायी, जिसको उसके द्वारा कब्जा पुलिस में लिया जाकर बतौर वजह सबूत जप्त किया, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 14 है जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहन के व ई से एफ मुल्जिम इरफान के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील का अंकन है। बरामदगी स्थल मुल्जिम इरफान खां का नक्शा मौका प्रथम बरामदगीस्थल प्रदर्श पी. 19 है जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहन के व ई से एफ मुल्जिम इरफान के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील का अंकन है। उक्त नक्शा मौका का हालात मौका उसके द्वारा तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी. 19 ए है, जिस पर ए से बी

उसके हस्ताक्षर है। जैर हिरासत मुल्जिम श्मशाद ने स्वेच्छा से इतिला दी कि जो प्रदर्श पी. 26 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अपनी दी गयी इतिला के अनुसार मुल्जिम श्मशाद ने अपने साथ चलते हुए घटना में प्रयुक्त एक लाठी व मोबाईल रिहायशी ढाणी से उसके समक्ष पेश की, जिसको उसके द्वारा कब्जा पुलिस में ले जाकर फर्द जप्ती लाठी बांस जो प्रदर्श पी. 16 है व फर्द जप्ती मोबाईल प्रदर्श पी. 17 मुल्जिम श्मशाद तैयार की, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहन के व ई से एफ मुल्जिम श्मशाद के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील का अंकन है। उक्त लाठी बांस व मोबाईल का बरामदगी का नक्शा मौका उसके द्वारा तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी. 21 है जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहन के व ई से एफ मुल्जिम श्मशाद के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील का अंकन है। उक्त नक्शा का हालात मौका उसके द्वारा तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी. 21 ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुल्जिम श्मशाद से वरवक्त गिरफ्तारी घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाईकिल प्लेटिना बिना नंबरी बैरंग काला जप्त किया था, जिसकी फर्द जप्ती 18 है जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहन के, ई से एफ मुल्जिम श्मशाद के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। जैर हिरासत मुल्जिम अकबर अली ने घटना में प्रयुक्त लाठी की इतिला दी, जो प्रदर्श पी. 27 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुल्जिम अकबर अली के हस्ताक्षर है। अपनी दी गयी इतिला के अनुसार मुल्जिम अकबर अली ने मेगा हाईवे के पास पडी झाडियों में लाठी बांस की निकालकर उसके समक्ष पेश की, जिसको कब्जा पुलिस में लिया जाकर बतौर वजह सबूत सील मोहर किया गया, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 15 तैयार की, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहन के, ई से एफ मुल्जिम अकबर अली, जी से एच उसके हस्ताक्षर है और जिस पर एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील का अंकन है। उक्त बरामदगी का नक्शा मौका उसके द्वारा तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी. 20 है, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहन के, ई से एफ मुल्जिम अकबर अली, जी से एच उसके हस्ताक्षर है और जिस पर एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील का अंकन है और जिसका हालात मौका प्रदर्श पी. 20 ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान के दौरान वजह सबूत एफएसएल भेजे गये थे, जिसकी बाद रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद है, जो प्रदर्श पी. 28 व 29 है। उसके द्वारा जप्तशुदा पिस्तोल की अभियोजन स्वीकृति आदेश जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा जारी पत्र प्रदर्श पी. 30 है। मुकदमा हाजा की चार्जशीट थानाधिकारी अरूण चौधरी पुलिस निरीक्षक द्वारा न्यायालय में पेश की गयी। उसका पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन से स्थानान्तरण जून, 2019 में होने पर पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु एसएचओ साहब को सुपुर्द की गयी।

मुकदमा का वजह सबूत एक कपडे की थैली एक गंडासी मार्क सी मुल्जिम ईरफान खां सील हालत में पेश हुई जिसके मुंह पर चिट्ट दस्तखती लगी हुई है। चिट्ट दस्तखती प्रदर्श पी 31 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी व ई से एफ गवाहन के हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील का अंकन है। कपडे की थैली में से एक गंडासी निकली जिसका बांस का हथा लगा हुआ है जो आर्टिकल 4 है। थैली के अंदर से एक चिट्ट दस्तखती ओर निकली जो प्रदर्श पी 31 ए है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी व ई से एफ गवाहन के हस्ताक्षर है, जी से एच मुल्जिम के हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील का अंकन है। कपडे की थैली आर्टिकल 5 है। एक अन्य कपड़े की थैली मार्क ई मुल्जिम श्मशाद को खोला गया जिसके मुंह पर एक चिट्ट दस्तखती निकली जो प्रदर्श पी 32 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी व ई से एफ गवाहन के हस्ताक्षर है, जी से एच मुल्जिम के हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील का अंकन है। थैली के अंदर से एक चिट्ट दस्तखती ओर निकली जो प्रदर्श पी 32 ए है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी व ई से एफ गवाहन के हस्ताक्षर है, जी से एच मुल्जिम के हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील का अंकन है। थैली में से एक डंडा बांस का निकला जो आर्टिकल 6 है और कपड़े की थैली आर्टिकल 7 है। एक अन्य कपडे की थैली मार्क डी मुल्जिम अकबर अली को खोला गया जिसके मुंह से एक चिट्ट दस्तखती निकली जो प्रदर्शपी 33 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी व ई से एफ गवाहन के हस्ताक्षर है, जी से एच मुल्जिम अकबर अली के हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील का अंकन है। कपडे की थैली में से एक चिट्ट दस्तखती निकली जो प्रदर्श पी 33 ए है। कपड़े की थैली में से छोटी लाठी बांस की निकली जो आर्टिकल 8 है और कपडे की थैली आर्टिकल 9 है। एक अन्य कपड़े की थैली मार्क एफ एक मोबाईल मुल्जिम श्मशाद को खोला गया जिसके मुंह से एक चिट्ट दस्तखती निकली जो प्रदर्श पी 34 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी व ई से एफ गवाहन के हस्ताक्षर है, जी से एच मुल्जिम श्मशाद के हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील का अंकन है। एक अन्य चिट्ट दस्तखती थैली के अंदर से निकली जो प्रदर्शपी 34 ए हैं। थैली के अंदर से एक मोबाईल निकला जो आर्टिकल 10 है व कपडे की थैली आर्टिकल 11 है। एक अन्य कपड़े की थैली मार्क ए पेश हुई जिसके एक साईड में खून आलूदा पारचात पेंट मजरूब अदरिस तथा दूसरी साईड में Sero 259/19 लिखा हुआ है। चिट्ट दस्तखती प्रदर्श पी 35 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी अकरम के हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर अली मोहम्मद व वाई स्थान पर पीडित अदरिस के अगूंठा निशान है। थैली के अंदर से एक एफएसएल का टोकन

निकला जो प्रदर्श पी 36 है। थैली के अंदर से एक ब्राउन रंग की कटी–फटी पेंट का टुकडा निकला जो आर्टिकल 12 है और कपडे की थैली आर्टिकल 13 है। उपरोक्त वजह सबूत वे ही है जो उसके द्वारा दौराने अनुसंधान जप्त किये गये थे। **प्रतिपरीक्षण में** कथन किया है कि यह कहना सही है कि उक्त पत्रावली में बयान उसने लिये और गवाहों ने जैसा कहा था उसने वैसा ही लिखा था, अपनी तरफ से कोई बढा–चढ़ाकर नहीं लिखा। यह कहना सही है कि जो उसने बरामदगी की थी, उनमें गवाह लखूवाली चौकी के मुलाजिमों को ही रखा कोई अन्य स्वतंत्र गवाह को नहीं रखा था, स्वतंत्र गवाह न रखने का कारण यह था कि कोई स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रदर्श पी. 4 घटनास्थल का नक्शा मौका वहां पर घटना से जोडने से संबंधित उन्हें कोई अलामात नजर नहीं आये, क्योंकि वो आम रास्ता है और वहां काफी आवाजाही रहती है। जरिये मुखबिर ही उन्हें तीनो मुल्जिमानों की सूचना का पता लगा था। उसने उक्त तीनों मुल्जिमानों की शिनाख्त नहीं करवायी। जहां पर वह घटना होना बता रहा है, वो आम रास्ता है वहां पर आसपास खेत है और खेतों में लोग काम भी कर रहे थे उनसे उसने पूछताछ की थी।

<u>Appreciation of Evidence</u>

20. उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य का ध्यानपूर्वक परिशीलन करने से प्रकरण में एफआईआरकर्ता रानी जिसके द्वारा पर्चा एफआईआर प्रदर्श पी–3 थाना हनुमानगढ़ टाउन में दिनांक 30.03.19 को दिया गया था। वह साक्षी पी.ड 2 के रूप में अभिलेख पर परीक्षित हुई और उसने दिनांक 28.03.18 की घटना बताते हुए उसका इदरिश के साथ उसके घर से खाना देने जाने पर रास्ते में 3 एलके चक के पास तीन मोटरसाइकिल पर आठ–नौ व्यक्तियों का आना, जिनके साथ दो महिलाएं भी थीं और सभी के डाटे मारे हुए, जिनके हाथ में पिस्तौल, डंडे, कापे थे उनके इदरिश के गोली मारना अंकित करवाया है। गवाह ने यह कथन किया कि इदरिश को गोली किसने मारी, इदरिश को कापे और डंडे से किसने मारा उसे नहीं पता। इस गवाह को अभियोजन पक्ष के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किए जाने पर प्रतिपरीक्षण में गवाह ने यह कथन किया है कि गोली मारने वाले हाथोंहाथ ही मौके पर से भाग गए थे। उसे नहीं पता कि मारपीट क्यों हुई थी, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उसने पुलिस बयान प्रदर्श पी–2 पुलिस को नहीं लिखवाए। मौके पर जितने भी आदमी और औरतें थी, उनको वह नहीं पहचानती है और उसने उनमें से किसी का भी हुलिया पुलिस को नहीं बताया। इस प्रकार इस गवाह के द्वारा स्वयं ही उसके द्वारा थाने में दी गयी पर्चा एफआईआर प्रदर्श पी–3 के तथ्यों को न्यायालय के समक्ष साबित नहीं किया गया है। जिन व्यक्तियों के द्वारा वह मारपीट करना बता रही है उन सबके मुंह बंधे हुए होने और

उनमें से किसी को भी न पहचानने का यह गवाह कथन करती है।

21. साक्षी पी.ड 3 अदरिश इस प्रकरण का मुख्य आहत है जिसने मुख्य परीक्षा में ही न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि करीब डेढ़ साल पहले वह और उसकी मौसी की बेटी रानी मोटरसाइकिल से खाना लेकर जा रहे थे, जब खाना लेकर जा रहे थे तब रास्ते में मुंह पर डाटे मारे हुए तीन व्यक्ति आए, जिन्होंने उसकी ओर फायर किया जो गर्दन में लगा, उसके अलावा किसने चोट मारीं, उसे नहीं पता, क्योंकि वह बेहोश हो गया था। फायर किसने किया, उसे नहीं पता। इस गवाह को भी अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन न किए जाने के कारण पक्षद्रोही घोषित करने पर गवाह ने उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी–6 से पूर्णतः इन्कारी दर्ज करवायी और यह कथन किया कि उसे तो पुलिस वालों ने बताया था कि इरफान, अकबर व शमशाद ने उस पर फायर किया। इरफान की उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उसका इरफान के घर पर आना जाना है। वहीं मौके पर उपस्थित बताए और अन्य चश्मदीद साक्षी पी.ड 4 अल्लादित्ता ने यह कथन किया है कि जब वह गाय चरा रहा था तब चक 3 एलके के पास काफी लोग इकट्ठे हो रहे थे, वहां क्या घटना हुई उसे नहीं पता, शोर मच रहा था। प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने कथन किया कि मौके में इदरिश पड़ा था। पुलिस उसको गाड़ी में डाल रही थी, चोटें लगी थी, वहां पर रानी ने उसे कुछ नहीं बताया। इदरिश के चोटे किसने कैसे मारी इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। गवाह के द्वारा पुलिस बयान प्रदर्श पी–7 से भी पूर्णतः इन्कारी दर्ज करवायी गयी है। इसी प्रकार अन्य चश्मदीद साक्षी पी.ड 5 अब्दुल शकुर ने भी गाय चराने के दौरान शोर सुनने, मौके पर जाने पर इदरिश के चोटें लगी होना बताया है, परंतु चोटें किसने मारी इस बारे में कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन के द्वारा इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किए जाने पर गवाह ने उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी–8 को लिखवाए जाने से इन्कारी दर्ज करवायी है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि इरफान की इदरिश से कोई दुश्मनी नहीं है।

22. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर घटना के संबंध में अन्य कोई चश्मदीद साक्षी परीक्षित नहीं हुआ है। इदरिश के आयी चोटों के संबंध में डॉक्टर शंकरलाल सोनी पी.ड 9 ए के रूप में परीक्षित हुए हैं जिन्होंने इदरिश के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–38 को प्रदर्शित करवाते हुए उसके शरीर पर करीब चार चोटें मुख्य रूप से व अन्य कई कटे हुए घाव होना बताया है, जो सभी 24 घंटे के भीतर कारित थी। चोट प्रतिवेदन और उक्त गवाह की साक्ष्य से यह साबित हो रहा है कि इदरिश के दांयी हाथ व दांयी अग्रभुजा पर, बांए पैर पर व बांयी अग्रभुजा, पीठ पर व बांयी जांघ पर, दांयी जांघ पर जो कटे हुए घाव थे वे सभी धारदार हथियार से कारित थे, जबकि उसकी गर्दन

पर बांयी तरफ जो चोट कारित की गयी थी वो फायर आर्म्स से कारित थी अर्थात् इदरिश के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर व फायर आर्म्स से चोटें कारित करने का तथ्य तो उक्त चिकित्सक की साक्ष्य से साबित हो रहा है, परंतु उक्त चोटें इस प्रकरण के अभियुक्तगण के द्वारा ही कारित की गयी हो ऐसी पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि स्वयं एफआईआरकर्ता पी.ड 2 रानी, स्वयं आहत पी.ड 3 इदरिश व अन्य स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी बताए जा रहे पी.ड 4 अलदित्ता व पी.ड 5 अब्दुल शकुर के द्वारा मुल्जिम इरफान तथा मुलजिम शमशाद के विरुद्ध किसी प्रकार के संलिप्तकारी कथन नहीं किए गए हैं। ऐसे में उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष धारा **341, 307/34, 326/34, 323/34, 397, 398/34** की हद तक आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है।

23. जहां तक अभियुक्त इरफान से अनुसंधान के दौरान दिनांक 04.04.19 को उसके चैतन्य आधिपत्य व कब्जे से एक अवैध पिस्तौल 315 बोर व दो जिंदा कारतूस बिना किसी वैध लाइसेंस के बरामद किए जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्षी पी.ड 8 अनुसंधान अधिकारी नवदीप सिंह ने न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट साक्ष्य दी है कि दिनांक 31.03.19 को उसके द्वारा एफआईआर प्रदर्श पी–5 का अनुसंधान प्रारंभ किया गया और अभियुक्त इरफान को जरिये फर्द प्रदर्श पी–9 गिरफ्तार किया गया तब इरफान ने स्वेच्छया से उसे प्रदर्श पी–25 सूचना दी, जिसके अनुसार उस सूचना के अनुसरण में अभियुक्त ने स्वयं एक पिस्तौल मय दो कारतूस व एक गंडासी चारपाई के नीचे से बरामद करवाई जिसके बारे में उसने फर्द प्रदर्श पी–12 स्वतंत्र मौतबीर के समक्ष हस्ताक्षर करवाकर और मुल्जिम के हस्ताक्षर करवाकर बरामदगी कायम की। जब्तशुदा पिस्टल का खाका उसने फर्द खाका प्रदर्श पी–13 के रूप् में बनाया। दोनों ही दस्तावेजों पर एक्स स्थान पर उसने तीन जगह नमूना सील लगायी। इसी अनुसंधान के दौरान उसने उक्त जब्तशुदा पिस्तौल व कारतूस को जो सील्ड अवस्था में थे पहले मालखाना में जमा करवाया, जहां से उक्त वजह सबूत जिला आरमोरर को जांच हेतु प्रेषित किए गए और तत्पश्चात् एफएसएल को प्रेषित किए गए जिनकी रिपोर्ट पत्रावली पर प्रदर्श पी–28 व 29 है। उसके द्वारा जब्तशुदा पिस्तौल की अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी–30 के रूप में जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ से प्राप्त की गयी।

24. इसी क्रम में साक्षी पी.ड 9 मांगेराम ने दिनांक 04.04.2019 को पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के मालखाना का इंचार्ज उसके पास होने के दौरान नवदीप सिंह एसआई के द्वारा दिनांक 04.04.19 को एक सील्ड पैकेट में एक देशी पिस्तौल मय दो कारतूस मार्क–बी मुल्जिम

इरफान से जब्त हुए, उसे सील्ड अवस्था में मालखाना में जमा करवाए जाने की साक्ष्य दी है जो इस गवाह ने दिनांक 25.04.19 को फरसाराम कांस्टेबल को आरमोरर मुआयना करवाने हेतु दिया जो फरसाराम ने आरमोरर मुआयना करवाकर उसे सील्ड पैकेट लाकर पुनः संभला दिया जिस अनुसरण में ही साक्षी पी.ड 6 फरसाराम ने यह स्पष्ट कथन किया है कि दिनांक 04.04.19 को इरफान ने पूर्व से जो पिस्तौल नवदीप जी को बरामद करवाया था उस पिस्तौल व दो जिंदा कारतूस को वह मालखाना से आरमोरर की जांच करवाने हेतु दिनांक 25.04.19 को लेकर गया था तब जिला आरमोरर गुलाब सिंह एएसआई ने पिस्तौल व कारतूस को पैकेट से निकालकर मैकेनिकल मुआयना कर रिपोर्ट मय वजह सबूत सील्ड अवस्था में उसे संभला दिया जो उसने मालखाना प्रभारी मांगेराम एचसी को सुपुर्द कर दिया। मैकेनिकल रिपोर्ट उसने आईओ नवदीप सिंह को दे दी जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

25. इसी अनुसरण में साक्षी पी.ड 1 गुलाब सिंह ने भी यह स्पष्ट कथन किया है कि दिनांक 25.04.19 को उसके द्वारा जिला आरमोरर के पद पर तैनात रहते हुए मुकदमा नंबर 146/19 के संदर्भ में सील्डशुदा पैकेट मार्क–बी व अन्य दस्तावेज उसके सामने फरसाराम कांस्टेबल के द्वारा पेश करने पर पैकेट पर लगी सील का मिलान फर्द व चिट नमूना पर लगी सील से करने पर मिलान सही व सुरक्षित पाए जाने के पश्चात् पैकेट को खोला तो उसके मुंह पर चिट दस्तखती निकली और पैकेट पर एक पिस्तौल 315 बोर (8mm) देशी कट्टा बिना नंबरी निकला, जिसके साथ दो जिंदा कारतूस 315 बोर के निकले, तब उसके द्वारा पिस्तौल का आरमोर्र गेज व टूल से चलाकर चैक किया तो पिस्तौल सही हालत में कार्य कर रहा था जो फायर करने में सक्षम था और फायर श्रेणी का हथियार था। पिस्तौल के साथ मिले दो जिंदा कारतूस 315 बोर फायर करने में सक्षम थे जो कैप कंपनी के बने हुए थे। बाद मिलान उसने पिस्तौल व कारतूसों को पुनः कपड़े की थैली में डालकर चिटों का पृष्ठांकन कर सील अंकित कर फरसाराम कांस्टेबल को दे दिए। मुआयना रिपोर्ट तैयार कर पुनः उसके सुपुर्द कर दी। इस गवाह के द्वारा न्यायालय के समक्ष पैकेट मार्क–बी जो आरएफएसबी बीकानेर की सील से सील था, को प्रदर्शित करते हुए चिट दस्तखती प्रदर्श पी–2 करवायी है। पृष्ठांकन वाली थैली में से निकली प्रदर्श पी–3 उसकी स्वयं की आरमोरर की सील के बाबत् साक्ष्य दी और थैली में से निकले पिस्तौल 315 बोर को आर्टिकल 1 के रूप में, दो नग कारतूस के खुले खोके आर्टिकल 2 व 3 के रूप में प्रदर्शित करवाए। गवाह ने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट कथन किया कि उसके पास पिस्तौल और जिंदा कारतूस आए थे।

26. इसी क्रम में साक्षी पी.ड 7 लखविन्द्र सिंह ने यह कथन किया है कि दिनांक

28.05.19 को जब वह पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में तैनात था तब मालखाना इंचार्ज ने सील्ड वजह सबूत अन्य मार्क के साथ अग्रेषण पत्र जारी करवाने हेतु दिए थे जिसे उसने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पेश कर अग्रेषण पत्र जारी करवाया जो प्रदर्श पी–9 व 10 है। फिर उसने वजह सबूत 29.05.19 को एफएसएल बीकानेर ले जाकर दिया जहां पर ऐतराज होने के कारण 30.05.19 को पुनः थाने में लाकर मालखाना इंचार्ज को दिया फिर ऐतराज पूर्ति के बाद 25.06.19 को वजह सबूत व सील्ड शीशी मय अग्रेषण पत्र प्राप्त कर दिनांक 26.06.19 को बीकानेर में एफएसएल विभाग में जमा करवाए जिसकी रसीद प्रदर्श पी–11 उसने लाकर मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द कर दी। इस प्रकार उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से दिनांक 04.04.2019 को पिस्तौल की बरामदगी से लेकर सील्ड अवस्था में मालखाना में रखे जाना फिर मालखाना से पहले उसकी आरमोरर से जांच करवाने हेतु दिया जाना, वहां से भी सील्ड अवस्था में ही पुनः मालखाना इंचार्ज के पास जमा करवाने व बाद में सील्ड अवस्था में एफएसएल विभाग को जांच हेतु प्रेषित किए जाने और एफएसएल विभाग से बाद जांच प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष आर्टिकल 1, 2 व 3 के रूप में प्रदर्शित करवाए जाने तक उक्त पिस्तौल व दो जिंदा कारतूस का सील्ड अवस्था में रहना साबित हुआ है और इस संदर्भ में प्रदर्शित हुई साक्ष्य भी पूर्णतः अखंडनीय रही है जो कड़ीबद्ध श्रृखंला के रूप में पत्रावली पर मौजूद है जिसके बारे में साक्षी पी. ड 9 मांगेराम ने यह भी कथन किया है कि लखविन्द्र के द्वारा दिनांक 28.05.19 को ऐतराज के साथ मूल वजह सबूत उसे दिया गया तब ऐतराज पूर्ति के पश्चात् दिनांक 25.06.19 को वापस उक्त पैकेट उसे एफएसएल में जमा करवाने हेतु दिए गए जिसके बारे में इस गवाह ने मालखाना रजिस्टर की फोटोप्रति प्रदर्श पी–37 भी प्रदर्शित करवायी।

27. वहीं साक्षी पी.ड 8 नवदीप सिंह के द्वारा अनुसंधान अधिकारी के रूप में यह कथन किया गया कि उक्त जब्तशुदा पिस्तौल पर अभियोजन स्वीकृति उसने जिला कलेक्टर कार्यालय से प्रदर्श पी–30 के रूप में प्राप्त की जिसके संदर्भ में ही साक्षी पी.ड 10 सुरेन्द्र कुमार ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि दिनांक 01.07.19 को मुल्जिम इरफान खान के नाम से जिला कलेक्टर कार्यालय से सशस्त्र के संबंध में एक अभियोजन स्वीकृति उसके द्वारा पारित कर प्रदर्श पी–30 के रूप में जिला कलेक्टर के आदेशों पर तैयार की गयी थी जिस पर जिला मजिस्ट्रेट जाकिर हुसैन के हस्ताक्षर है और सी से डी स्थान 7 पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर के भी हस्ताक्षर है। अभियोजन स्वीकृति के लिए जो पत्र जिला पुलिस अधीक्षक की तरफ से लिखा था वह प्रदर्श पी–41 के रूप में इस गवाह ने प्रदर्शित करवाया है। प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने स्पष्ट कथन किया

है कि अभियोजन स्वीकृति पर जिला मजिस्ट्रेट ने उसके सामने ही हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार उक्त सभी साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्त इरफान खां से अवैध पिस्तौल मय दो जिंदा कारतूस दिनांक 04.04.2019 को बरामद होने संबंधी, बरामदशुदा अवैध पिस्तौल व दो जिन्दा कारतूसों को सील्ड अवस्था में मालखाना में जमा करवाए जाने संबंधी मालखाना से सील्ड अवस्था में ही आरमोर्र की जांच हेतु प्रेषित किए जाने, आरमोर्र की जांच के पश्चात् सील्ड अवस्था में ही पुनः मालखाना में प्राप्त होने, मालखाना से वास्ते एफएसएल जांच सील्ड अवस्था में ही प्रेषित किए जाने, एफएसएल से पुनः एफएसएल विभाग की सील लगाकर प्राप्त होने और न्यायालय में उक्त सील से ही सील्ड अवस्था में माल प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शित किए जाने और आर्टिकल 1, 2 व 3 के रूप में प्रदर्शित करवाए जाने तक समस्त साक्ष्य कड़ीबद्ध श्रृंखला में मौजूद होने से **अभियुक्त इरफान खां** के विरुद्ध आरोपित अपराध धारा **3/25 (1–B)(A) आयुध अधिनियम** इस प्रकार संदेह से परे साबित पाया जाता है।

28. जहां तक दिनांक 30.03.2019 को उक्त अवैध पिस्तौल व कारतूसों का प्रयोग अदरीश पर किए जाने का प्रश्न है तो यह तथ्य पूर्व में किए गए विवेचन से अभियुक्त इरफान खां के विरूद्ध साबित नहीं हुआ है तथा एफएसएल रिपोर्ट से भी पिस्तौल से फायर किए गए समय का Definite आकलन Ascertain नहीं होने से इरफान की पिस्तौल से ही दिनांक 30.03.2019 को फायर किया जाना साबित नहीं पाया जाता है, जिससे **अभियुक्त इरफान खां** के विरूद्ध **धारा 27 आयुध अधिनियम** का आरोप सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

29. इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष यह मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध इस हद तक साबित करने में पूर्णतया **असफल रहा है कि** अभियुक्तगण ने दिनांक 30.03.2019 को दोपहर लगभग दो बजे लखूवाली से आधा किलोमीटर दूर अदरीश की हत्या करने एवं रानी को मारपीट करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में उन्हें रोककर उनका सदोष अवरोध कारित कर मजरूबा रानी के स्वेच्छया कुंद हथियार से साधारण उपहतियां एवं मजरूब अदरीश के धारदार हथियार से स्वेच्छया उसके दाएं हाथ, दाएं हाथ की अग्रभुजा, बाएं हाथ की अग्रभुजा व बाएं पैर पर गंभीर उपहतियां कारित की हो तथा परिवादी अदरीश को तत्काल मृत्यु के भय में डालकर उद्दापित किया हो और अदरीश को इनटेक्स मोबाईल फोन वहीं और उसी समय परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित कर घातक आयुध अवैधों से सुसज्जित होकर लूट कारित करने के लिए देशी पिस्तौल का उपयोग किया हो और आहत अदरीश के गंभीर उपहतियां कारित की हो तथा अभियुक्त इरफान खां ने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत अदरीश की गर्दन

पर देशी पिस्तौल से फायर कर चोट पहुंचाई हो, जिससे यदि आहत अदरीस की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त इरफान खां हत्या के अपराध का दोषी होता तथा अभियुक्त शमशाद ने इरफान खां के उक्त कृत्य में सहयोग दिया हो तथा अभियुक्त इरफान खां ने अदरीश की हत्या करने के आशय से पिस्तौल .315 बोर (8 एमएम) का अवैध रूप से प्रयोग करते हुए फायर किये हों।

30. वहीं अभियोजन पक्ष यह मामला अभियुक्त इरफान के विरूद्ध इस हद तक साबित करने में **सफल रहा है कि** दिनांक 04.04.2019 को दोपहर 12.30 बजे अभियुक्त इरफान खां की ढाणी चक 11 आरपी रोही लखूवाली से अभियुक्त के चैतन्य व अनन्य कब्जे से एक पिस्तौल .315 बोर (8 एमएम) व दो जिन्दा कारतूस .315 बोर (8 एमएम) बिना वैध अनुज्ञा पत्र के बरामद हुए।

31. अतः अभियुक्त इरफान खां को धारा 341, 323/34, 326/34, 397, 398/34, 307 भारतीय दण्ड संहिता व 27 आयुध अधिनियम के आरोप में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना सर्वथा न्यायोचित है। इसी प्रकार अभियुक्त शमशाद को धारा 341, 323/34, 326/34, 397, 398/34, 307/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना सर्वथा न्यायोचित है, परन्तु उक्त अभियुक्त इरफान खां को धारा 3/25 (1-B)(A) आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाना सर्वथा न्यायोचित है।

आदेश

32. अतः अभियुक्त **इरफान खां** पुत्र श्री काले खां, निवासी वार्ड नंबर 13 चक 11 आरपी, रोही लखूवाली हैड को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323/34, 326/34, 397, 398/34, 307 भारतीय दण्ड संहिता व 27 आयुध अधिनियम में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार अभियुक्त **शमशाद** पुत्र श्री मुमताज, निवासी वार्ड नंबर 13 चक 11 आरपी, रोही लखूवाली हैड को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323/34, 326/34, 397, 398/34, 307/34 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है, परन्तु उक्त **अभियुक्त इरफान खां** पुत्र श्री काले खां को धारा धारा 3/25 (1-B) (A) आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। सजा के बिन्दु पर अभियुक्त को पृथक से सुना जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियुक्त **अकबर अली** पुत्र श्री गुलाम कादर, निवासी नवां, पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध

संस्थित कार्यवाही पूर्व में दिनांक 20.01.2024 को **ड्रोप** की जा चुकी है।

(लतिका दीपक पाराशर)
अपर सेशन न्यायाधीश सं० 2,
हनुमानगढ़

<u>सजा के प्रश्न पर</u>

33. सजा के प्रश्न पर दोनो पक्षों को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने बहस के दौरान यह तर्क दिया कि अभियुक्त को दी जाने वाली सजा में नरमी का रूख अपनाया जावे, क्योंकि अभियुक्त अपने परिवार में अकेला कमाने वाला है। उसका पूर्व का आपराधिक चरित्र भी नहीं है, वह नौजवान व्यक्ति है, जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए दोषसिद्ध आरोपों में अभियुक्त को कठोर दण्ड दिए जाने का निवेदन किया।

34. उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों पर मनन किया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। अभियुक्त के चैतन्य व अनन्य कब्जे से एक पिस्तौल .315 बोर (8 एमएम) व दो जिन्दा कारतूस .315 बोर (8 एमएम) बिना वैध अनुज्ञा पत्र के बरामद हुए हैं। वर्तमान में अवैध हथियारों के मामले इस क्षेत्र में काफी बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आमजन में भय का माहौल है, इसलिए अभियुक्त के प्रति नरमी बरतते हुए परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है। हालांकि अभियुक्त नवयुवक होकर वर्ष 2019 से लगातार अन्वीक्षा भुगत रहा है, इसलिए प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध में निम्न दण्ड से दंडादिष्ट किया जाना न्यायोचित है।

– दण्डादेश –

35. अतः अभियुक्त इरफान खां पुत्र श्री काले खां, निवासी वार्ड नंबर 13 चक 11 आरपी, रोही लखूवाली हैड को अपराध अंतर्गत धारा 3/25 (1–B) (A) आयुध अधिनियम के तहत दोषसिद्ध घोषित किये जाने पर निम्न प्रकार से दण्डादिष्ट किया जाता है–

क्र– सं–	दोषिसद्ध आरोप	कारावास का दण्ड	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड अतिरिक्त कारावास
1	धारा 3/25 (1–B) (A)	एक वर्ष का साधारण कारावास	5,000 रूपये	एक माह का साधारण कारावास

	आयुध अधिनियम			

36. अभियुक्त द्वारा पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में गुजारी गई अवधि धारा 428 द.प्र.सं. के तहत उसकी मूल सजा में समायोजित की जाएगी। प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किये जावे। जप्त पिस्तौल व कारतूस जिला शस्त्रागार में जमा करवाए जावें। अभियुक्त का सजा वारंट बनाया जावे। निर्णय की प्रति अभियुक्त को तुरंत निःशुल्क प्रदान की जावे।

(**लतिका दीपक पाराशर**)
अपर सेशन न्यायाधीश सं० 2,
हनुमानगढ़

37. निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(**लतिका दीपक पाराशर**)
अपर सेशन न्यायाधीश सं० 2,
हनुमानगढ़

INDER DEV
clerk Gr. I
"Authenticate document"
Digitally signed by INDER DEV
Date: 2026.03.18 10:23:50 +0530